



2026:AHC-LKO:18783-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 2573 सन 2026

विकास पुरी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष लखनऊ
एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	: हृदेश श्रीवास्तव, सतेंद्र नाथ राय
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	: शोभित मोहन शुक्ला, अभिषेक खरे, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय**

1. अधिवक्ता श्री रक्षित राज सिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है। इसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हृदेश श्रीवास्तव को, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री रक्षित राज सिंह को, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक खरे को सुना गया।
3. यह पूछे जाने पर कि क्या प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री खरे ने उस शिकायत पर मूल निर्णय को चुनौती दी है, जिसके निष्पादन/प्रवर्तन के लिए रैरा द्वारा दिनांक 22.09.2022 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उन्होंने बताया कि इसे चुनौती नहीं दी गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. हमें कोई कारण नहीं दिखता कि दिनांक 22.09.2022 के वसूली प्रमाण पत्र को उचित समय के भीतर निष्पादित / लागू क्यों नहीं किया गया। अब वर्ष 2026 चल रहा है। तदनुसार, हम इस रिट याचिका का **निस्तारण** करते हुए कलेक्टर, लखनऊ को निर्देश देते हैं कि वे दिनांक 22.09.2022 के वसूली प्रमाण पत्र को दो महीने के भीतर निश्चित रूप से निष्पादित/लागू करें, जब तक कि इस संबंध में कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।

5. उपरोक्त टिप्पणियों / निर्देशों के साथ, रिट याचिका का अंतिम **निस्तारण** किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

मार्च 16, 2026

आर.के.पी./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।